XI रिज़र्व बैंक का 2012-13 का लेखा

लेखा वर्ष 2012-13 की समाप्ति ₹618.04 बिलियन के अधिशेष के साथ हुई जिससे पिछले वर्ष के ₹430.40 बिलियन के समरूप राशि की तुलना में 43.6 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है। विदेशी आस्तियों में निवेश से अर्जित आय में मामूली वृद्धि हुई जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्याज दर घटने का सूचक है किंतु देशी आस्तियों से होने वाली आय में काफी वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण भारत सरकारी की प्रतिभूतियों का बढ़ा हुआ पोर्टफोलियो था। आकस्मिकता निधि और आस्ति विकास निधि में अंतरण से पूर्व की और संबंधित खातों में सीधे समायोजित अप्राप्त लाभ और हानियों की राशि को छोड़कर कुल आय ₹743.58 बिलियन थी जो कि 2011-12 की तुलना में 39.8 प्रतिशत की वृद्धि थी। कुल व्यय ₹125.49 बिलियन था जो पिछले वर्ष के ₹101.37 बिलियन के व्यय की तुलना में 23.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। आरक्षित निधि में विनियोजन के पश्चात केंद्र सरकार को देय अधिशेष ₹330.10 बिलियन का रहा जो समग्र संदर्भ में अब तक का सबसे बड़ा अधिशेष अंतरण है।

XI.1 रिज़र्व बैंक लेखा वर्ष 2012-13 (जुलाई-जून) के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का आकार ₹1,818 बिलियन अर्थात 8.2 प्रतिशत बढ़कर ₹23,907 बिलियन हो गया। आस्ति पक्ष में, रिज़र्व बैंक की देशी प्रतिभूतियों की धारिता, ऋणों और अग्रिमों के साथ ही विदेशी आस्तियों में भी वृद्धि हुई। देशी आस्तियों में हुई 14 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से वर्ष के दौरान खुले बाजार के परिचालनों के माध्यम से ₹919.3 बिलियन मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के कारण हुई। विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई 5.2 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के संबंध में लेनदेन की इकाई माने जाने वाले अमरीकी डॉलर की तुलना में भारती रुपया के तीव्र अवमूल्यन होने के कारण पोर्टफोलियो के मूल्यांकन प्रभाव के कारण हुई। किंतु स्वर्ण के अंतरराष्ट्रीय मूल्य में कमी होने के कारण स्वर्ण भंडार के मूल्य में 11.3 प्रतिशत की कमी हुई। देयता पक्ष में, तुलन पत्र में हुई वृद्धि का कारण मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा संचलनगत नोटों में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि होना था। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियों में देशी आस्तियों का हिस्सा 36.2 प्रतिशत और शेष 63.8 प्रतिशत हिस्सा विदेशी आस्तियों का था जबकि 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार इनका हिस्सा क्रमशः 34.4 प्रतिशत और 65.7 प्रतिशत था।

XI.2 रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके अधीन जारी की गई विज्ञप्तियों और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 में निर्धारित किए गए प्रपत्र के अनुसार तैयार किए जाते हैं। रिज़र्व बैक दो तुलन पत्र तैयार करता है, एक तुलन पत्र निर्गम विभाग से संबधित होता है जिसका संबंध मुद्रा प्रबंध के मूल कार्य से होता है और दूसरा बैंकिंग विभाग से संबंधित होता जोकि रिज़र्व बैंक के अन्य सभी कार्यों का प्रभाव दर्शाता है। रिज़र्व बैंक का तुलन पत्र मुख्य रूप से निर्गम क्रियाओं के साथ ही साथ मौद्रिक और आरक्षित निधि प्रबंध नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की गई उसकी क्रियाओं का प्रतिफलन होता है। तुलनीयता और पारदर्शिता की और अधिक जरूरत को स्वीकार करते हुए रिज़र्व बैंक अपने वित्तीय विवरणों में और अधिक प्रकटीकरण किए जाने की ओर उत्तरोत्तर बढ़ रहा है (बॉक्स XI.1)। तदनुसार, वर्ष 2012-13 के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणामों के साथ में वार्षिक लेखा से संबंधिति प्रबंध की टीका-टिप्पणियों और महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लेखा और विवरण पर समर्थक टिप्पणियों को भी नीचे दिए जा रहे परिच्छेदों में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखा से संबंधित टिप्पणियों सहित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता क्रमशः अनुलग्नक I और II के रूप में दिए गए हैं।

बाक्स XI.1
तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता प्रस्तुतीकरण के स्वरूप की समीक्षा के लिए तकनीकी समिति

रिज़र्व बैंक ने अपने तुलन पत्र और लाभ-हानि खाते के प्रस्तुतीकरण के स्वरूप की समीक्षा के लिए एक तकनीकी समिति (अध्यक्ष : श्री वाई.एच. मालेगाम) का गठन किया था ताकि उनकी पठनीयता और विषयवस्तु को बेहतर बनाया जा सके। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2013 में प्रस्तुत कर दी है और उस रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट(URL: http://www.rbi.org.in/scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=702) में डाल दिया गया है।

तकनीकी समिति ने रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरणों के स्वरूप और प्रस्तुतीकरण के विभिन्न पहलुओं की जांच की जिसके अंतर्गत अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों के वित्तीय विवरणों का तुलनात्मक विश्लेषण करने के अलावा वित्तीय विवरणों के स्वरूप और प्रस्तुतीकरण की पठनीयता, विषयवस्तु, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) से उनकी समानता पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रमुख सिफ़ारिशों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

क) तुलन पत्र का स्वरूप

- निर्गम और बैंकिंग विभाग के तुलन पत्रों का विलय कर दिया जाना चाहिए ताकि रिज़र्व बैंक के लिए एक ही तुलन पत्र तैयार करके कुल देयताओं और आस्तियों को एक ही स्थान पर दर्शाया जा सके।
- तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की मुख्य मदों को ही दर्शाया जाए तथा उनसे संबंधित अन्य ब्यौरे संलग्न अनुसूचियों में दर्शाए जाएं।
- अनुसूचियों में अलग से दर्शाए जाने वाली मदों के निर्धारण के लिए एक समान प्रकृति वाली मदों का समूहबद्ध किया जाए और उन्हें एक ही मद के अंतर्गत दर्शाया जाए तथा कम महत्त्व वाली अन्य मदों को को समूहित करके 'अन्य' शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाए।

ख) लाभ और हानि खाते की नामकरण तथा उसका स्वरूप

- "लाभ और हानि खाते" को अब से "आय विवरण" कहा जाना चाहिए।
- समग्र रूप से रिज़र्व बैंक के लिए एक ही लाभ और हानि खाता (अथवा की गई सिफ़ारिश के अनुसार "आय विवरण") तैयार किया जाना जारी रखा जाना चाहिए। विदेशी मुद्रा आस्तियों को रूपांतरित किए जाने अथवा आस्तियों को बाजार के लिए चिह्नित किए जाने पर विभिन्न आस्तियों से संबंधित सभी अप्राप्त मूल्य निर्धारण से संबंधित समायोजनों (प्राप्तियां/हानियां) को आय विवरण में दर्शाया जाना चाहिए तथा इसके अनुरूप आकस्मिक आरक्षित निधि, आस्ति निर्माण आरक्षित निधि, मुद्रा तथा स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता, निवेश पुनर्मूल्यन खाता और विनिमय समतुल्यता खाते में होने वाले निवल अंतरण को लाभ और हानि खाते (आय विवरण) में 'प्रावधान' शीर्षक के अंतर्गत एक ही मद के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
- चूंकि ब्याज से होने वाली आय रिज़र्व बैंक की आय का प्रमुख श्रोत है, इसलिए उन सभी मदों को जिनसे ब्याज प्राप्त नहीं होता हो, को एक ही शीर्षक के अंतर्गत समूहबद्ध करके 'अन्य आय' के रूप में दर्शाया जाए।

ग) लेखांकन नीति

- रिज़र्व बैंक को अपने वित्तीय विवरण सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक (आईएएस)/अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के अनुसार तैयार करने चाहिए किंतु रिज़र्व बैंक द्वारा इसमें समुचित परिवर्तन किया जा सकता है।
- स्वर्ण परिचालनात्मक आस्ति होने के कारण इसलिए प्रत्येक महीने के अंत में इसका पुनर्मूल्यांकन विद्यमान अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार से पुनर्मूल्यन किए जाने पर अप्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में अंतरित किया जाना जारी रखा जाना चाहिए।
- रुपया आस्तियों को उचित मूल्य पर स्वीकार करना चाहिए तथा पुनर्मूल्यन किए जाने पर होने वाले किसी भी प्रकार के अप्राप्त लाभ अथवा हानि को निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता (आईआरए) में अंतरित किया जाना चाहिए। यदि निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता शेष किसी भी समय नामे होता हो तो नामे शेष को लाभ और हानि खाते (आय विवरण) में नामे किया किया जाना चाहिए।
- तेल बांडों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाएगा और उन्हें लागत मूल्य पर तुलन पत्र में दर्शाया जाएगा जबकि खजाना बिलों से भिन्न अन्य सभी देशी प्रतिभूतियों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' माना जाएगा और तदनुसार उनका लेखांकन किया जाएगा। सभी विदेशी प्रतिभूतियों को भी 'बिक्री के लिए उपलब्ध' माना जाएगा।
- रिपो और रिवर्स रिपो लेनदेनों को निधि उधार देना और उधार लेना माना जाए; इसे प्रतिभूतियों का विक्रय और क्रय किया जाना न माना जाए।
- सरकार की अतिरिक्त नगदी के प्रबंधन के हिस्से के रूप में सरकार को प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित लेनदेन की प्रकृति रिवर्स रिपो लेनदेन की होती है और इसलिए इन कार्यों से होने वाले लाभ या हानि को अलग अस्थायी खाते में रखा जाना चाहिए और लेनदेन के रिवर्स होने पर उसे रिवर्स किया जाए।
- वर्तमान में वायदा विनिमय संविदा के समग्र मूल्य पर बट्टा नही काटा जाता है। अब से ऐसी संविदाओं के समग्र मूल्य पर तुलन पत्र तैयार किए जाने की तिथि में लागू रिवर्स रिपो दर पर बट्टा काटा जाना चाहिए।

(जारी....)

घ) प्रकटीकरण

वर्तमान में रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के 'रिज़र्व बैंक का लेखा से संबंधित अध्याय के साथ ही वित्तीय विवरण के संलग्नक 'महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां' में भी प्रकटीकरण किया जाता है। सभी प्रासंगिक प्रकटीकरण सिर्फ 'महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां' में किए जाने चाहिए।

तुलन पत्र और आय विवरण के प्रारूप में परिवर्तन संबंधी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन/भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके अधीन लागू किए जाने वाले विनियमों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता होगी। उक्त अधिकांश सिफारिशों को आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान लागू करने का प्रस्ताव है ताकि अगले वर्ष के वार्षिक लेखा में समिति द्वारा कल्पना किए गए परिवर्तन दिखाई दे सकें। इसी दौरान, इस अध्याय के अंतर्गत और अधिक प्रकटीकरण किए जाने का प्रयास किया गया है जिसके अंतर्गत विशेष रूप से आय और व्यय के घटकों और तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाते में उल्लेख की गई विशेष मदों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण, अतिरिक्त समर्थक सारणियों और अधिक विश्लेषणात्मक जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। अध्याय के पाठ में दर्शाई गई मदों का ब्यौरा उसी क्रम में दिया गया है जिस क्रम में उन्हें तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

तुलन पत्र

निर्गम विभाग की देयताएं और आस्तियां

निर्गम विभाग - देयताएं

XI.3 निर्गम विभाग की देयताएं संचलनगत नोटों की मात्रा को दर्शाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 34(1) के अनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा 1 अप्रैल 1935 से जारी किए गए बैंक नोटों और रिज़र्व बैंक द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताएं माना जाता है। निर्गम विभाग की रु.12,016.24 बिलियन की देयताओं में संचलनगत नोट (रु.12,016.16 बिलियन) और बैंकिंग विभाग में थोड़ी मात्रा (रु.0.08 बिलियन) में रखे गए नोट शामिल हैं। 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार संचलनगत नोटों की तदनुरूपी राशि रु.11,034.65 बिलियन थी। संचलनगत करेंसी नोटों में 2011-12 में हुई 13.8 प्रतिशत और 2010-11 के दौरान हुई 15.1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2012-13 के दौरान 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (मुद्रा परिचालन का ब्यौरा अध्याय VIII में दिया गया है)। इस प्रकार, संचलनगत मुद्राओं में समग्ररूप से वृद्धि हुई किंतु हाल के वर्षों में वार्षिक वृद्धि दर में गिरावट का रुझान देखा गया है।

निर्गम विभाग - आस्तियां

XI.4 निर्गम विभाग की मुद्रा देयताओं की समर्थक पात्र आस्तियों में स्वर्ण (सिक्का और बुलियन), विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के, भारत सरकार की प्रतिभूतियां, आंतरिक विनिमय बिल और अन्य वाणिज्यिक पत्र शामिल होते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 557.75 मेट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.26 मेट्रिक टन स्वर्ण निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है और शेष 265.49 मेट्रिक टन स्वर्ण को बैंकिग विभाग की अन्य आस्तियां माना जाता है। निर्गम विभाग की इन स्वर्ण धारिताओं का मूल्य 30 जून 2012 को रु.760.09 बिलियन था जो 11.3 प्रतिशत घट कर 30 जून 2013 को 674.3 बिलियन रह गया जोकि अंतरराष्ट्रीय बुलियन मूल्यों में कमी आने का पता चलता है (सारणी XI.1)। निर्गम विभाग की समग्र देयताओं में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में धारित आस्तियों में वृद्धि हुई जिनका वर्ष की समाप्ति पर मूल्य रु.11,329.10 बिलियन था जबकि 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार उनका मूल्य रु.10,261.97 था। निर्गम विभाग में रुपया सिक्कों का मूल्य 30 जून 2012 को

सारणी XI.1: सोने की धारिता

	30 जून 2012 की स्थिति		30 जून 2013 की स्थिति	
	मूल्य, ₹ बिलियन में	मात्रा, मेट्रिक टन में	मूल्य, ₹ बिलियन में	मात्रा, मेट्रिक टन में
1	2	3	4	5
निर्गम विभाग में रखा गया सोना	760.09	292.26	674.31	292.26
बैंकिंग विभाग में रखा गया सोना	690.46	265.49	612.54	265.49
('अन्य आस्तियों' के तहत)	**1,450.55**	**557.75**	**1,286.85**	**557.75**
कुल				

रु.2.21 बिलियन था जो बढ़कर 30 जून 2013 को रु.2.36 बिलियन हो गया जोकि 6.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्शाता है। भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों की धारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और रु.10.46 बिलियन की इनकी धारिता बनी रही।

बैंकिंग विभाग की देयताएं और आस्तियां

बैंकिंग विभाग - देयताएं

XI.5 बैंकिंग विभाग की देयताओं में पिछले वर्ष की तुलना में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका ब्यौरा निम्नलिखित परिच्छेदों में दिया गया है :

i) **चुकता पूंजी:** रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी रु.0.05 बिलियन थी। इसे 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार को प्राप्त हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी रु.0.05 बिलियन बनी हुई है।

ii) **आरक्षित निधि:** रु.0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46 के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की करेंसी देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्तूबर 1990 तक स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले रु.64.95 बिलियन के लाभ को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर रु.65 बिलियन हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है और स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाली मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में दर्ज किया जाता है जोकि तुलन पत्र में ञ्अन्य देयताओंट की मद का एक हिस्सा है।

iii) **राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि:** भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के तहत जुलाई 1964 में रु.100 मिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ सृजित इस निधि में रिज़र्व बैंक की ओर से पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता स्वरूप प्रदान किए गए वार्षिक सहयोग की राशि जमा की जाती है। 1992-93 से इस निधि में प्रत्येक वर्ष रु.10 मिलियन की सांकेतिक राशि जमा की जाती है। वर्ष 2012-13 में इस परिपाटी को जारी रखा गया है और इस प्रकार से 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार इस निधि का मूल्य रु.220 मिलियन था।

iv) **राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि:** भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46डी के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय निभाव उपलब्ध कराने के लिए रु.500 मिलियन की प्रारंभिक पूंजी के साथ जनवरी 1989 में स्थापित निधि को उसके बाद से रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वार्षिक सहयोग के माध्यम से बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से प्रतिवर्ष सिर्फ रु.10 मिलियन की सांकेतिक राशि ही इस निधि में जमा की जाती है। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार इस निधि में रु.1,960 मिलियन की राशि जमा है।

v) **अन्य निधियों में अंशदान:** यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 46ए के अधीन दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जिनमें से प्रत्येक में प्रति वर्ष ₹10 मिलियन का सांकेतिक अंशदान जमा किया जाता है। चूंकि इन निधियों को अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत रखा गया है, अत: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को प्रति वर्ष ₹20 मिलियन की राशि अंतरित की जाती हैं।

vi) **जमाराशियां:** इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों, निर्यात-आयात बैंक और नाबार्ड जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधियों संबंधी विविध खातों के शेषों की रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली नकदी होती है। 30 जून 2013 को रु.3,738.92 बिलियन की कुल जमाराशि थी जिसमें 30 जून 2012 की स्थिति की जमा कुल राशि रु.3,723.68 बिलियन की तुलना में 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी।

- *जमाराशियां - सरकारी*

  भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21(ए) के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमा राशि रखते हैं। वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए रखी गई जमा राशियों का शेष क्रमशः रु.1.00 बिलियन और रु.0.43 बिलियन था जिनका योग रु.1.43 बिलियन होता है जो पिछले वर्ष की समाप्ति के लगभग बराबर ही रहा।

- *जमाराशियां - बैंक*

  भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखे गए अपने चालू खाते में बैंक राशि नकदी आरक्षित अनुपात की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा भुगतान और निपटान के दायित्वों तथा आवश्यक कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमा रखते हैं। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा जमा कुल राशि रु.3,571.51 बिलियन थी जिसमें पिछले वर्ष की कुल जमाराशि रु.3,600.21 बिलियन की तुलना में 0.8 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई जोकि वर्ष के दौरान नगदी आरक्षित अनुपात अपेक्षाओं में आई कमी को दर्शाती है।

- *जमाराशियां - अन्य*

  इनमें विदेशी केंद्रीय बैंकों, देशी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, म्यूचुअल फंडों की जमाराशि, संचित सेवानिवृत्ति लाभ और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, प्राथमिक व्यापारियों, कर्मचारी ऋण समितियों की जमाराशि जैसी विविध प्रकार की जमाराशियों और अन्य विविध जमाराशियों को शामिल होती हैं।

सारणी XI.2 में उपलब्ध कराए गए विस्तृत विवरण में देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान इन जमा राशियों में समग्र रूप से 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें संचित सेवानिवृत्ति लाभों का योगदान प्रमुख रहा।

vii) देय बिल: रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों तथा स्वयं के भुगतानों संबंधी आवश्यकता के लिए धन-प्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है। इस उद्देश्य से रिज़र्व बैंक के कार्यालयों द्वारा मांग ड्राफ्ट (डीडी) और भुगतान आदेश (पीओ) जारी किए जाते हैं। इस मद की शेष राशि धन-प्रेषण समाशोधन खाते में धारित तत्कालीन धन-प्रेषण सुविधा योजना, 1975 के तहत के भुनाए न गए मांग ड्राफ्टों/ भुगतान आदेशों और शेषों को दर्शाती है। इस मद के तहत बकाया कुल राशि 30 जून 2012 को रु.0.27 बिलियन थी जो बढ़कर 30 जून 2013 को रु.1.87 बिलियन हो गई। तुलन पत्र तैयार किए जाने की तारीख में हुई वृद्धि भारत सरकार को देय रु.1.64 बिलियन के मांग ड्राफ्ट जारी किए जाने के कारण थी जिसका भुगतान बाद में 5 जुलाई 2013 को किया गया।

viii) अन्य देयताएं: अन्य देयताओं में भारतीय रिज़र्व बैंक की आंतरिक आरक्षित निधियां और प्रावधान प्रमुख घटक होते हैं। आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि

सारणी XI.2: जमाराशियां :अन्य

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2012	2013
1	2	3
I. विदेशी केंद्रीय बैंकों और विदेशी वित्तीय संस्थाओं की रुपया जमाराशियां	11.18	15.33
II. भारतीय वित्तीय संस्थाओं की जमाराशियां	1.27	0.70
III. म्यूचुअल फंडों की जमाराशियां	0.01	0.01
IV. संचित सेवानिवृत्ति-अधिवर्षिता लाभ (i+ii)	105.39	141.02
(i) भविष्य निधि	33.55	36.10
(ii) ग्रेच्युइटी और सेवानिवृत्ति-निधि	71.84	104.92
V. विविध	4.20	8.89
कुल	**122.05**	**165.95**

रिज़र्व बैंक की आंतरिक आरक्षित निधि होती है,ज़ो बैंकों द्वारा सामान्य रूप से प्रदान की जाने वाली निधियों के रूप में प्रदान जाती हैं, किंतु ञ्अन्य देयताओंट के शेष घटक जैसे कि मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता, निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) और विदेशी मुद्रा समकरण खाता (ईईए) इत्यादि की प्रकृति प्रावधानों की है क्योंकि वे अप्राप्त लाभ/हानि को दर्शाते हैं। 30 जून 2012 को अन्य देयताएं रु.7,263.55 बिलियन थीं जो 11.3 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2013 को रु.8,082.86 बिलियन हो गईं जिसका मुख्य कारण मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में हुआ संचय था। यह उल्लेखनीय है कि ञ्अन्य देयताओंट के अंतर्गत दर्शाई गईं आकस्मिक निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधियां तुलन पत्र की पृथक मद के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा धारित रु.65 बिलियन की ञ्आरक्षित निधिट के अतिरिक्त है (सारणी XI.3)।

क) आकस्मिकता आरक्षित निधि: यह निधि प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट और मौद्रिक/विनिमय दर नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न जोखिमों सहित अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अलग से रखी गई राशि को दर्शाती है। आकस्मिकता आरक्षित निधि 30 जून 2012 के रु.1,954.05 बिलियन में रु.262.47 बिलियन (13.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2013 को बढ़कर रु.2,216.52 बिलियन हो गई।

सारणी XI.3: अन्य देयताओं के विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2012	2013
1	2	3
क. आकस्मिकता आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	**1,707.28**	**1,954.05**
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपचय	246.77	262.47
वर्ष के अंत में शेष राशि	**1,954.05**	**2,216.52**
ख. आस्ति विकास आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	**158.66**	**182.14**
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपचय	23.48	25.47
वर्ष के अंत में शेष राशि	**182.14**	**207.61**
ग. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	**1,822.86**	**4,731.72**
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय (+)/निवल नि:शेष (-)	(+)2,908.86	(+) 469.41
वर्ष के अंत में शेष राशि	**4,731.72**	**5,201.13**
घ. निवेश पुनर्मूल्यन खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	**42.69**	**122.22**
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय (+)/निवल उपयोग (-)	(+) 79.53	(-) 97.37
वर्ष के अंत में शेष राशि	**122.22**	**24.85**
ङ. विदेशी मुद्रा समकरण खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	**0.01**	**24.05**
विनिमय खाते से अंतरण	24.05	16.99
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय(+)/निवल उपयोग (-)	(-)0.01	(-) 24.05
वर्ष के अंत में शेष राशि	**24.05**	**16.99**
च. बकाया व्ययों के लिए प्रावधान	**16.16**	**18.43**
छ. भारत सरकार को अंतरण-योग्य अधिशेष	**160.10**	**330.10**
ज. विविध	**73.11**	**67.23**
कुल (क से ज)	**7,263.55**	**8,082.86**

ख) आस्ति विकास आरक्षित निधि: आंतरिक पूंजीगत व्ययों को पूरा करने तथा अनुषंगी संस्थाओं और सहायक संस्थानों में निवेश करने के लिए और अलग राशि उपलब्ध कराई गई है और आस्ति विकास आरक्षित निधि में जमा की गई है जिसकी स्थापना रिज़र्व बैंक की सकल आस्तियों के एक प्रतिशत के स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से 1997-98 में की गई थी। 2012-13 में रु.25.47 बिलियन की राशि का अंतरण आय में से आस्ति विकास आरक्षित निधि में किया गया जिससे 30 जून 2013 की स्थिति में इसका स्तर बढ़कर रु.206.61 बिलियन हो गया। आंतरिक अध्ययन दल (अध्यक्ष : श्री वी. सुब्रह्मण्यम) की सिफारिशों के आधार पर आकस्मिकता आरक्षित निधि का लक्ष्य कुल आस्तियों का 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया था किंतु 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास निधि - दोनों मिलकर रिज़र्व बैंक की कुल आस्तियों का 10.1 प्रतिशत होती हैं। पिछले पांच वर्षों के अंत के अनुसार स्थिति सारणी XI.4 में दर्शाई गई है।

ग) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता: विनिमय दरों और/अथवा स्वर्ण मूल्य में परिवर्तन होने के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) तथा स्वर्ण के पुनर्मूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल नहीं लिया जाता बल्कि तुलन पत्र मदों के अंतर्गत मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में शामिल किया जाता है। आकस्मिकता आरक्षित निधि को प्राप्त लाभों के विभाजन के द्वारा सृजित किया जाता है किंतु मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता आरक्षित निधि खाता नहीं है क्योंकि यह खाता विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्यन के कारण होने वाले सकल अप्राप्त लाभ और हानि को दर्शाता है। मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता स्वर्ण और विनिमय दर में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिबिंब होता है इसलिए इसका आकार आस्ति आधार के आकार और विनिमय दर तथा स्वर्ण मूल्य के परिवर्तनों के अनुसार बदलता है। 2012-13 के दौरान मुद्रा और स्वर्ण पूनर्मूल्यन खाते में रु.469.41 बिलियन की वृद्धि हुई। 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार इस खाते में जमा राशि रु.4,731.72 थी जो 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार बढ़कर रु.5.201.13 हो गई जिससे समग्ररूप से 9.9 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है। हाल की पिछली अवधि में, यद्यपि सकल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण की मात्रा में कमी हुई है किंतु अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये में तीव्र गिरावट के कारण मुद्राऔर स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से यह खाता विनिमय दरों/स्वर्ण मूल्यों में परिवर्तनों, जिनमें हाल के समय में बहुत उतार-चढ़ाव देखे गए हैं, की स्थिति में बचाव का कार्य करता है।

सारणी XI.4: आकस्मिक आरक्षित निधि (सीआर) और आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर) में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति	सीआर में शेष	एडीआर में शेष	कुल	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत के रूप में सीआर और एडीआर
1	2	3	4=(2+3)	5
2009	1,533.92	140.82	1,674.74	11.9
2010	1,585.61	146.32	1,731.92	11.3
2011	1,707.28	158.66	1,865.94	10.3
2012	1,954.05	182.14	2,136.19	9.7
2013	2,216.52	207.61	2,424.13	10.1

घ) निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए): रिज़र्व बैंक दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार करता है और इस प्रकार से हुई मूल्य में वृद्धि/कमी को निवेश पुनर्मूल्यन खाते में अंतरित किया जाता है। इस प्रकार के आवधिक पुनर्मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाते में समायोजित किया जाता है। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार निवेश पुनर्मूल्यन खाते में शेष राशि रु.24.85 बिलियन थी जबकि 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार यह राशि रु.122.22 बिलियन थी। इस खाते में हुई काफी गिरावट का कारण मुख्य रूप से प्राप्तियों में होने वाली, विशेषरूप से अमरीकी सरकार की प्रतिभूतियों, वृद्धि से होने वाले बाजार मूल्य पर दर्शाया गया अप्राप्त घाटा था।

ङ) विदेशी मुद्रा समकरण खाता (ईईए): विदेशी मुद्रा समकरण खाते की शेष राशि मुख्यरूप से हस्तक्षेपी परिचालनों से उत्पन्न होने वाले वायदा प्रतिबद्धताओं से होने वाले बाजार मूल्य पर दर्शाए घाटे के लिए किए गए प्रावधान को दर्शाती है। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार मुद्रा समकरण खाते में शेष राशि रु.16.99 बिलियन थी

जबकि 30 जून 2012 के अंत के अनुसार इस खाते में शेष राशि रु.24.05 बिलियन थी। पिछले पांच वर्षों के लिए मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता, विदेशी मुद्रा समकरण खाता और निवेश पुनर्मूल्यन खाता में शेष राशि की स्थिति सारणी XI.5 में दी गई है।

च) **बकाया व्यय के लिए प्रावधान**: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 में यह प्रावधान किया गया है कि उसमें परिभाषित आकस्मिकताओं और कॉर्पस फंडों और वे जो कि सामान्यत: बैंकरों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, के लिए प्रावधान करने के बाद रिज़र्व बैंक के शेष लाभ को केंद्र सरकार को अंतरित किया जाना होता है। तदनुसार वर्ष 2012-13 के लिए रु.18.43 बिलियन की राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए इस हेतु रु.16.16 बिलियन की राशि का प्रावधान किया गया था।

छ) **भारत सरकार को अंतरण किए जाने योग्य अधिशेष**: वर्ष 2012-13 के लिए सरकार को अंतरण किए जाने योग्य कुल अधिशेष राशि रु.330.10 बिलियन है। इसमें पिछले वर्षों के अनुरूप, स्व-मूल्यांकन के आधार पर माइकर चेक प्रोसेसिंग शुल्कों के कारण देय अनुमानित सेवा कर के लिए रु.0.10 बिलियन की राशि शामिल है। इसमें सरकार को देय ब्याज-अंतर के रूप में रु.13.22 बिलियन (पिछले वर्ष के समान) की राशि भी शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को विपणन योग्य प्रतिभूतियों में बदलने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले ब्याज व्यय के अंतर को दर्शाती है। इस राशि के लिए अलग से प्रावधान नहीं किया जाता है और यह सरकार को अंतरण किए जाने वाले अधिशेष में शामिल होता है। सरकार को इस वर्ष अंतरित की जाने वाली राशि अब तक की सबसे बड़ी राशि थी। सकल आय (व्यय को घटाने के बाद) के प्रतिशत के रूप में अंतरित आय 53.4 प्रतिशत थी जो 2010-11 और 2011-12 में रहे क्रमश: 52.8 प्रतिशत और 37.2 प्रतिशत से अधिक थी (सारणी XI.15)।

ज) **विविध**: यह अवशिष्ट मद है जिसमें छुट्टी का नकदीकरण किए जाने पर देय राशि, प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज के लिए आरक्षित निधि जिसे कर्मचारी निधियों के लिए अलग रखा गया हो, रिपो लेनदेनों के मार्जिन के रूप में धारित संपार्श्विकीकृत निधि का मूल्य, कर्मचारियों के लिए चिकित्सकीय प्रावधानों इत्यादि जैसे उप-खातों को शामिल किया जाता है। 30 जून 2013 को विविध देयताएं रु.67.23 बिलियन थीं जबकि 30 जून 2012 को यह राशि रु.73.11 बिलियन थी।

सारणी XI.5: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), विदेशी मुद्रा समकरण खाते (ईईए) और निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति	मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता	विदेशी मुद्रा समकरण खाता	निवेश पुनर्मूल्यन खाता
1	2	3	4
2009	1,988.42	0.27	-
2010	1,191.34	0.19	93.71
2011	1,822.86	0.01	42.69
2012	4,731.72	24.05	122.22
2013	5,201.13	16.99	24.85

बैंकिंग विभाग - आस्तियां

XI.6 बैंकिंग विभाग की आस्तियों में नोट, रुपया सिक्के, छोटे सिक्के, खरीदे गए और भुनाए गए बिल, विदेशों में धारित राशि, निवेश, ऋण और अग्रिम तथा अन्य आस्तियां शामिल होती हैं। तुलन पत्र में उनको चलनिधि के घटते क्रम में दर्शाया जाता है।

i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

यह रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों का स्टॉक होता है। इस स्टॉक के मूल्य में 11.1 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 30 जून 2012 के रु.0.09 बिलियन से कम होकर 30 जून 2013 को रु.0.08 बिलियन रह गया।

ii) खरीदे गए और भुनाए गए बिल

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किंतु ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की लेखा पुस्तिकाओं में इस प्रकार की कोई भी आस्ति उपलब्ध नहीं है।

iii) विदेशों में धारित राशि

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) के निम्नलिखित घटक होते हैं - (क) बैंकिंग विभाग की आस्तियों के अधीन पृथक मद के रूप दर्शाई जाने वाली विदेशी मुद्रा में

सारणी XI.6: विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2012	2013
1	2	3
I. निर्गम विभाग में रखी गयी	10,261.97	11,329.10
II. बैंकिंग विभाग में रखी गयी		
क) निवेशों में शामिल*	590.57	523.57
ख) विदेशों में रखी गयी शेष राशि	3,640.27	3,395.01
कुल	**14,492.81**	**15,247.68**

*बीआईएस और एसडब्ल्यूआईएफटी में विदेशी प्रतिभूतियां और शेयर शामिल हैं (सारणी XI.7 की मदें ii+iii)

टिप्पणी : 1. 30 जून 2013 को अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के अंशतः चुकता शेयरों की मांगी न गई राशि ₹1.08 बिलियन (एसडीआर 12,041,250) थी। पिछले वर्ष यह राशि ₹1.03 बिलियन (एसडीआर 12,041,250) थी।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक 8,740.82 मिलियन एसडीआर (₹784.80 बिलियन/13.15 बिलियन अमरीकी डालर) की अधिकतम राशि तक आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गया है। 30 जून 2013 को उधार के लिए नई व्यवस्था नोट क्रय करार के अंतर्गत जिसमें 10 बिलियन अमरीकी डालर (₹597.00 बिलियन की पूर्व प्रतिबद्धता शामिल है) के अंतर्गत 1,118.8 मिलियन एसडीआर (₹100.45 बिलियन/1.68 बिलियन अमरीकी डॉलर) की राशि निवेश की गई है।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फायनेंस कंपनी (यूके) द्वारा जारी बांडों में एक राशि, जिसका कुल 5 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 298.50 बिलियन) से अधिक नहीं होना चाहिए, निवेश के लिए सहमत हो गया है। 30 जून 2013 तक, रिज़र्व बैंक ने ऐसे बांडों में 950 मिलियन अमरीकी डालर (₹56.71 बिलियन) का निवेश किया गया है।

4. मुद्रा स्वैप व्यवस्था में अंतर्गत, रिज़र्व बैंक 2 बिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा तक, 100 मिलियन अमरीकी डालर से लगाकर 400 मिलियन अमरीकी डालर तक, अमरीकी डालर के रूप में या भारतीय रुपये के रूप में सार्क देशों को अल्पकालिक निधीयन सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हो गया है। 30 जून 2013 तक रॉयल मोनेटरी एथॉरिटी ऑफ भूटान ने इस व्यवस्था में अंतर्गत 100 मिलियन अमरीकी डालर तक के बराबर भारतीय रुपये का आरहण किया है।

विदेशों में धारित राशि, (ख) निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में धारित विदेशी प्रतिभूतियां और (ग) बैंकिंग विभाग में निवेशों के हिस्से के रूप में धारित विदेशी प्रतिभूतियां।

विदेशों में धारित राशि के निम्नलिखित घटक होते हैं - (क) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशि, (ख) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमा राशि, (ग) विदेशी वाणिज्य बैंकों में जमा राशि और (घ) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश।

पिछले दो वर्षों से संबंधित रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों की स्थिति सारणी XI.6 में दी गई है। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (एफईआर), जिसमें स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) के अलावा विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) प्रमुख घटक होता है, का इस अवधि का ब्यौरा लेखों से संबंधित संलग्न नोट (अनुलग्नक II) के परिच्छेद 9 में दिया गया है (अनुलग्नक II) ।

2012-13 में विदेशी मुद्रा आस्तियों के स्तर में हुई वृद्धि मुख्य रूप से अन्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मूल्य वृद्धि को समायोजित करने के बाद अमरीकी डॉलर, जिसमें रिज़र्व बैंककी विदेशी मुद्रा आस्तियां धारित की जाती हैं, की तुलना में रुपया के मूल्य में हुई गिरावट के कारण हुई। मूल्यन के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा आस्ति में गिरावट को प्रतिसंतुलित करने के लिए आवश्यक आस्तियों से अधिक का लाभ हुआ जिसका कारण प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी मुद्रा की बिक्री था।

iv) निवेश: बैंकिंग विभाग के निवेश (सारणी XI.7) के निम्नलिखित घटक हैं -

क) रिज़र्व बैंक की भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों की कुल धारिता रु.6,739.33 बिलियन थी जबकि पिछले वर्ष यह धारिता रु.5,702.12 बिलियन की थी। इस धारिता में सरकारी प्रतिभूतियों की रिज़र्व बैंक की रु.5,946.87 बिलियन की अपनी धारिता और रिपो करार के तहत प्राप्त हुए संपार्श्वीकों को दर्शाने वाले रु.912.63 बिलियन की राशि शामिल है और इसमें से रिवर्स रिपो खरीद के लिए संपार्श्वीक के रूप में प्रदत्त रु.120.17 बिलियन की प्रतिभूतियों को घटा दिया गया है। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत खरीदी गई

सारणी XI.7: बैंकिंग विभाग का निवेश

(₹ बिलियन)

निवेश	2011-12	2012-13
1	2	3
i) भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	5,702.12	6,739.33
ii) विदेशी प्रतिभूतियां	588.03	520.90
iii) बीआईएस और एसडब्ल्यूआईएफटी में शेयर	2.54	2.67
iv) सहायक/सहयोगी संस्थाओं में धारिताएं	13.20	13.20
कुल	**6,305.89**	**7,276.10**

(रिपो) और बेची गई (रिवर्स रिपो) प्रतिभूतियों को उक्त धारिता में जोड़ा गया है और तदनुरूप ञनिवेशट में से इन्हें घटा दिया गया है। वर्ष के अंत में मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत बकाया राशि शून्य थी जबकि 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार यह राशि रु.6 बिलियन थी।

ख) विदेशी प्रतिभूतियां सोवरेन और सुप्रा-नैशनल संस्थानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य लिखतों अथवा संस्थानों के ऋणों को दर्शाती हैं। विदेशी प्रतिभूतियों का एक हिस्सा (रु.520.90 बिलियन) निर्गम विभाग की देयताओं में होने वाली दैनिक वृद्धि को कवर करने के लिए बैंकिंग विभाग में रखा गया है।

ग) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक और विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसायटी (स्विफ्ट) में धारित शेयरों का कुल मूल्य रु.2.67 बिलियन है जबकि पिछले वर्ष यह राशि रु.2.54 बिलियन थी।

घ) 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार अनुषंगी/सहयोगी संस्थाओं की धारिता का ब्यौरा सारणी XI.8 में दिया गया है।

v) ऋण और अग्रिम

क) केंद्र और राज्य सरकारें - ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के अनुसार प्रदान किए गए अर्थोपाय अग्रिमों (डब्लूएमए) का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं जिसकी सीमाएं सरकारों से विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिमों का कुल मूल्य रु.146.61 बिलियन था। 30 जून 2012क़ो यह राशि ञ्शून्यट थी। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिमों का कुल मूल्य रु.21.45 बिलियन था जबकि 30 जून 2012 को यह राशि रु.7.31 बिलियन थी।

ख) वाणिज्य और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम - ये ऋण बैंकों को उपलब्ध कराई गई पुनर्वित्त सुविधा को दर्शाते हैं। इन ऋणों का मूल्य रु.169.64 बिलियन से बढ़कर रु.188.82 बिलियन हो गया है जिसका मुख्य कारण निर्यात क्षेत्र को मुहैया कराए जाने वाले ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए 30 जून 2012 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से निर्यात ऋण पुनर्वित्त की सीमा को पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर देना था।

ग) नाबार्ड को ऋण और अग्रिम - रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। वर्तमान की स्थिति के अनुसार इस प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया गया है।

घ) अन्य को ऋण और अग्रिम - इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विशेष पुनर्वित्त योजना के तहत निर्यात-आयात बैंक को और प्राथमिक व्यापारियों को प्रदान किए जाने वाले संपार्श्वीकृत ऋण आते हैं। इस प्रकार के ऋणों की मात्रा में काफी गिरावट आई और ये 30 जून 2012 के रु.28.90 बिलियन से घटकर 30 जून 2013 को रु.8.24 बिलियन रह गये जिसका कारण राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान किए जाने के साथ ही इन ऋणों को पुन: न लेना और निर्यात-आयात बैंक के लिए उपलब्ध विशेष पुनर्वित्त योजना को अप्रैल 2013 में बंद करना था।

सारणी XI.8: सहायक/सहयोगी संस्थाओं में धारिताएं

(राशि ₹ मिलियन में)

		लागत	% धारिता
1		2	3
(क)	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	500.00	100
(ख)	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)*	200.00	1
(ग)	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	4,500.00	100
(घ)	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	8,000.00	100
		13,200.00	

* भारत सरकार के निर्णय के अनुसार रिज़र्व बैंक ने नाबार्ड में अपना स्टेक छोड़ दिया है। इस प्रकार, रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व में धारित रु.20 बिलियन की नाबार्ड की कुल शेयर पूंजी के 72.5 प्रतिशत में से सममूल्य पर 71.5 प्रतिशत 13 अक्तूबर 2010 को भारत सरकार को अंतरित कर दी गई थी। अब नाबार्ड में रिज़र्व बैंक की शेयरधारिता 1 प्रतिशत रह गई है जोकि नाबार्ड अधिनियम 1981 के अंतर्गत अपेक्षित है।

vi) अन्य आस्तियां

बैंकिंग विभाग की ञ्अन्य आस्तियोंट (सारणी XI.9) में मुख्यत: स्थायी आस्तियां (अवमूल्यन के बाद शेष राशि), विदेशों में धारित स्वर्ण (265.49 मेट्रिक टन), उपचित आय (मुख्यरूप से बैंकों के देशी और विदेशी निवेशों पर तुलन पत्र तैयार करने की तारीख को उपचित ब्याज आय) तथा विविध आस्तियां होती हैं। विविध आस्तियों के घटक मुख्य रूप से स्टॉफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय, रिवर्स रिपो लेनदेन के लिए प्रस्तावित मार्जिन, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि और अंतर-कार्यालयीन लेनदेन का प्रतिनिधित्व करने वाली (भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य लेखा) मार्गस्थ मदें इत्यादि होते हैं। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार ञ्अन्य आस्तियोंट का मूल्य रु.902.60 बिलियन से घटकर रु.854.56 बिलियन रह गया जिसका मुख्य कारण धारिताओं के मूल्य में आई 11.3 प्रतिशत की गिरावट थी।

सारणी XI.9: अन्य आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण		30 जून की स्थिति	
		2012	2013
1		2	3
I.	अचल आस्तियां (संचित मूल्यह्रास को घटाकर)	4.37	4.50
II.	स्वर्ण	690.46	612.54
III.	उपचित आय (क+ख)	195.11	223.88
	क. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	2.83	2.98
	ख. अन्य मदों पर	192.28	220.90
IV.	विविध	12.66	13.64
	कुल	**902.60**	**854.56**

आय एवं व्यय का विश्लेषण

आय

XI.7 रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित स्रोतों से आय प्राप्त होती है- (i) ब्याज प्राप्तियां, (ii) डिस्काउंट, (iii) विनिमय, (iv) कमीशन तथा (v) अन्य आय जिनमें प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ अथवा हानि तथा जरूरत महसूस न किए गए प्रावधान। इनमें से ब्याज से प्राप्त आय डिस्काउंट, विनिमय, कमीशन तथा अन्य से प्राप्त होने वाली आय का प्रमुख हिस्सा होता है। सकल आय तथा देशी तथा विदेशी स्रोतों से पिछले 5 वर्षों में हुए अर्जन का ब्यौरा सारणी XI.10 दिया गया है।

विदेशी स्रोतों से अर्जन

XI.8 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय में मुख्यत: विदेशी मुद्रा आस्तियों के नियोजन से प्राप्त होने वाली आय शामिल होती है। यह आय 2011-12 के रु.198.10 से रु.9.36 बिलियन (4.7 प्रतिशत) बढ़कर 2012-13 में रु.207.46 बिलियन हो गई। विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2012-13 में भी कम अर्थात् 1.5 प्रतिशत रही जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्याज की दर कम रहने की वजह से है (सारणी XI.11)।

सारणी XI.10: सकल आय

(₹ बिलियन)

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
क. विदेशी स्रोत					
ब्याज, बट्टा, विनिमय	507.96	251.02	211.50	198.10	207.46
ख. देशी स्रोत					
(i) ब्याज	90.56	66.47	150.32	323.39	523.06
(ii) अन्य अर्जन	8.80	11.35	8.88	10.27	13.05
कुल: (i) + (ii)	99.36	77.82	159.20	333.66	536.11
ग. सकल आय (क+ख)	607.32	328.84	370.70	531.76	743.58
घ. आकस्मिकता आरक्षित निधि में अंतरण	261.91	51.68	121.67	246.77	262.47
ङ. आस्ति विकास आरक्षित निधि में अंतरण	13.10	5.50	12.35	23.48	25.47
ग. कुल आय (ग-घ-ङ)	332.31	271.66	236.68	261.51	455.64

सारणी XI.11: विदेशी स्रोतों से अर्जन

(₹ बिलियन)

मद	को समाप्त वर्ष		घट-बढ़	
	30 जून 2012	30 जून 2013	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	14,492.81	15,247.69	754.88	5.2
औसत विदेशी मुद्रा आस्तियां	13,477.55	14,281.58	804.03	6.0
विदेशी मुद्रा आस्तियां से अर्जन (ब्याज, बट्टा, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि)	198.10*	207.46	9.36	4.7
औसत विदेशी मुद्रा आस्तियों के प्रतिशत के रूप में एफसीए से अर्जन	1.5	1.5	-	-

* आंकड़े जिनमें विदेश में रखी गई स्वर्ण जमाराशियों पर 9.3 मिलियन रुपये की आय शामिल थी, वर्तमान वर्ष में शून्य हैं।

देशी स्रोतों से आय

XI.9 देशी स्रोतों से प्राप्त आय 2011-12 के रु.333.66 बिलियन की तुलना में 2012-13 में 60.7 प्रतिशत बढ़कर रु.536.11 बिलियन हो गई। देशी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय की विभिन्न मदों का विस्तृत ब्यौरा सारणी XI.12 में दिया गया है। 2012-13 में देशी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय 2011-12 के रु.304.24 बिलियन से 65.6 प्रतिशत बढ़कर रु.503.67 बिलियन हो गई। यह निवल बढ़ोतरी निम्नलिखित कारणों के समग्र प्रभाव के चलते हुई :

- रुपया प्रतिभूतियों के बढ़े हुए पोर्टफोलियो पर कूपन आय में वृद्धि (2011-12 के रु.276.73 बिलियन से 2012-13 में रु.408.68 बिलियन)।
- चलनिधि समायोजन सुविधा व्यवस्था के अंतर्गत औसत दैनिक चलनिधि के अंत:क्षेपण का 2011-12 के रु.928.18

सारणी XI.12: देशी स्रोतों से अर्जन

(₹ बिलियन)

मद	को समाप्त वर्ष		घट-बढ़	
	30 जून 2012	30 जून 2013	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
देशी आस्तियां	**7,596.54**	**8,662.02**	**1,065.48**	**14.0**
देशी आस्तियों की आय का साप्ताहिक औसत	**6,140.50** **333.66**	**7,724.84** **536.11**	**1,584.34** **202.45**	**25.8** **60.7**
I. ब्याज तथा अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित आय				
i) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	93.40	85.47	-7.93	-8.5
ii) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	77.66	64.79	-12.87	-16.6
iii) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	0.40	0.11	-0.29	-72.5
iv) देशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	276.73	408.68	131.95	47.7
v) मूल्यह्रास	143.95	55.38	-88.57	-61.5
कुल (i+ii+iii+iv-v)	**304.24**	**503.67**	**199.43**	**65.6**
II. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार को (केन्द्र और राज्य)	13.00	1.26	-11.74	-90.3
ii) बैंक और वित्तीय संस्थानों को	5.68	17.65	11.97	210.7
iii) कर्मचारियों को	0.47	0.48	0.01	2.1
कुल (i+ii+iii)	**19.15**	**19.39**	**0.24**	**1.3**
III. अन्य अर्जन				
i) बट्टा	-	0.28	0.28	-
ii) विनिमय	-	-	-	-
iii) कमीशन	9.52	11.13	1.61	16.8
iv) वसूल किया गया किराया, बैंक की संपत्तियों की बिक्री पर लाभ या हानि और प्रावधान जिनकी आगे जरूरत नहीं है	0.75	1.64	0.89	118.7
कुल (i+ii+iii+iv)	**10.27**	**13.04**	**2.77**	**27.00**

बिलियन से घटकर 2012-13 में रु.831.50 बिलियन हो जाना एवं रिपो दर में भी कटौती किया जाना जिनके चलते चलनिधि समायोजन सुविधा एवं सीमांत स्थायी सुविधा से ब्याज आय कम प्राप्त हुई (2011-12 के रु.77.66 बिलियन से 2012-13 में रु. 64.79 बिलियन)। 2012-13 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में प्रतिफल में गिरावट आने के कारण रुपया प्रतिभूतियों में मूल्यह्रास की मद में कमी आना और उसका 2011-12 के रु.143.95 बिलियन से 2012-13 में घटकर रु.55.38 बिलियन हो जाना (28 जून 2013 को 10 वर्षीय जेनेरिक प्रतिफल 7.5 प्रतिशत था जबकि 29 जून 2012 को यह 8.2 प्रतिशत था)।

- औसत देशी आस्तियों से अर्जन की दर पिछले वर्ष के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 7.2 प्रतिशत हो गई।
- पिछले वर्ष के 263 दिनों के अर्थोपाय अग्रिमों तथा 74 दिनों के ओवरड्राफ्ट की तुलना में केंद्र सरकार द्वारा केवल 27 दिन अर्थोपाय अग्रिम लिये जाने और कोई ओवरड्राफ्ट न लिये जाने के कारण उनकी नकदी की अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति। केंद्र सरकार द्वारा 2012-13 में अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट का दैनिक औसत उपयोग रु.8.44 बिलियन था जबकि 2011-12 में यह रु.142.39 बिलियन था। इसके चलते केंद्र सरकार से अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट से मिलने वाली ब्याज आय में कमी आई (2011-12 के रु.12.66 बिलियन से 2012-13 में रु. 0.67 बिलियन)।
- जहाँ तक राज्यों की बात है, अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट से प्राप्त ब्याज 2011-12 के रु.0.35 बिलियन की तुलना में उच्चतर अर्थात् रु.0.59 बिलियन था। यह वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों द्वारा 2011-12 के रु.4.07 बिलियन की तुलना में 2012-13 में अधिक अर्थात् रु.7.14 बिलियन के अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट का उपयोग किये जाने की वजह से थी।

व्यय

XI.10 रिज़र्व बैंक सांविधिक कार्य करते समय स्टाफ संबंधी अन्य व्ययों के अतिरिक्त एजेंसी प्रभारों/ कमीशन, सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रभारों, खजानों के प्रेषण संबंधी व्यय करता है। रिज़र्व बैंक का कुल व्यय 2011-12 के रु.101.37 बिलियन से 23.8 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में रु.125.49 बिलियन हो गया। रिज़र्व बैंक के व्यय को निम्नलिखित उप-समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

I. ब्याज का भुगतान

II. स्थापना व्यय

III. स्थापना से इतर व्यय

व्यय के प्रमुख शीर्षों का विस्तृत ब्योरा सारणी XI.13 में दिया गया है।

सारणी XI.13: व्यय

(₹ बिलियन)

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
I. ब्याज भुगतान	0.01	0.01	0.55	0.59	0.03
जिसमें से:					
अनुसूचित बैंक*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. स्थापना	24.48	19.87	23.01	29.93	58.59
III. गैर-स्थापना	57.68	64.15	62.99	70.85	66.87
जिसमें से:					
क) एजेंसी प्रभाग/कमीशन	29.99	28.55	30.12	33.51	28.07
ख) प्रतिभूति मुद्रण प्रभार	20.63	27.54	23.76	27.04	28.72
जोड़ (I+II+III)	82.17	84.03	86.55	101.37	125.49

* भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 में किये गये संशोधन के अनुसरण, में पात्र नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) शेष पर देय ब्याज 31 मार्च 2007 के शुरुआती पखवाड़े से वापस ले लिया गया।

I. ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान 2011-12 के रु.0.59 बिलियन से घटकर 2012-13 में रु.0.03 बिलियन हो गया। यह मद मुख्यत: कतिपय कर्मचारी कल्याण निधि में बैंक द्वारा जमा की गई ब्याज की राशि को दर्शाती है।

II. स्थापना व्यय

स्थापना व्यय 2011-12 के रु.29.93 बिलियन से 95.8 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में रु.58.89 बिलियन हो गया। स्थापना व्यय में हुई वृद्धि मुख्यत: बीमांकिक परिकलन के आधार पर आंकी गई ग्रेच्युटी एवं अधिवर्षिता निधि की उपचित देयताओं में बढ़ोतरी के कारण है। वर्ष 2012-13 में इस निधि में रु.35.32 बिलियन की राशि का अंशदान किया गया जबकि पिछले वर्ष यह राशि रु.8.22 बिलियन थी। बैंक ने भविष्य निधि, ग्रेच्युटी एवं अधिवर्षिता निधि तथा छुट्टी नकदीकरण निधि में रखे शेष के समतुल्य राशि का निवेश इन निधियों के लिए निश्चित किया है। भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी तथा अधिवर्षिता निधि को बैंक की ञ्जमाराशिट के रूप में रखा जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की छुट्टी नकदीकरण निधि को ञ्अन्य देयताओंट के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

III. गैर-स्थापना व्यय

क) एजेंसी शुल्क: एजेंसी शुल्क के अंतर्गत चार प्रकार के खर्चों को शामिल किया जाता है (सारणी XI.14)।

सारणी XI.14: एजेन्सी प्रभार

(₹ मिलियन)

	2011-12	2012-13
1	2	3
सरकारी लेनदेनों पर एजेन्सी कमीशन	32,128.78	27,264.39
प्राथमिक व्यापारियों को भुगतान किया गया हामीदारी कमीशन	722.69	218.65
राहत/बचत बांडों के लिए बैंकों को दिया गया हैंडलिंग प्रभार	1.25	1.11
बाह्य आस्ति प्रबंधकों को भुगतान	656.07	582.38
कुल	**33,508.79**	**28,066.53**

i) सरकार का कारोबार करने के लिए एजेंसी बैंकों को प्रदत्त कमीशन (प्राप्तियां एवं भुगतान): रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंक की शाखाओं के बड़े नेटवर्क के जरिए सरकार के बैंकर के दायित्व का निर्वाह करता है। ये बैंक शाखाएं सरकारी अंतरणों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में काम करती हैं। रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन का भुगतान करता है जिसे 01 जुलाई 2012 को संशोधित किया गया। सरकार का कारोबार चलाने के लिए बैंकों को प्रदत्त एजेंसी कमीशन 2012-13 में रु.27.26 बिलियन रहा जबकि यह 2011-12 में रु.32.13 बिलियन था। वर्ष के दौरान प्रदत्त एजेंसी कमीशन में आई 15.2 प्रतिशत की गिरावट मुख्यत: एजेंसी कमीशन की दरों में संशोधन किए जाने के कारण है।

ii) केंद्र सरकार के उधार कार्यक्रम के लिए प्राथमिक डीलरों (पीडी) को हामीदारी कमीशन के रूप में प्रदत्त शुल्क: पीडी को देय हामीदारी कमीशन भारत सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए उधार ली गई राशि एवं पीडी द्वारा कोट किए गए हामीदारी शुल्क पर निर्भर करता है। ये दोनों कारक राजकोषीय घाटा एवं भारत सरकार के अनुवर्ती उधार कार्यक्रम, बाजार में चलनिधि की स्थिति, ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के चलते प्रतिभूति के प्रतिफल में होने वाले परिवर्तन आदि अन्य संगत कारकों पर निर्भर करते हैं। हामीदारी कमीशन पर व्यय की गई राशि 2011-12 के रु.722.69 मिलियन से घटकर 2012-13 में रु.218.65 मिलियन रह गई।

iii) बाह्य आस्ति प्रबंधकों, जिन्हें रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के एक छोटे भाग के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया था, को शुल्क के रूप में अदा की गई राशि रु.12.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ रु.0.58 बिलियन रही जबकि 2011-12 में यह राशि रु.0.66 बिलियन थी।

ख) प्रतिभूति मुद्रण: प्रतिभूति मुद्रण प्रभार (प्रमुख रूप से करेंसी नोटों के मुद्रण हेतु) पर किया गया व्यय 2011-12 के रु.27.04 बिलियन से 6.3 प्रतिशत बढ़कर 2012-13

में रु.28.72 बिलियन हो गया। इस वृद्धि के प्रमुख कारणों में बैंक नोटों की कुल आपूर्ति में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि होना एवं भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. द्वारा कोट की गई दरों में मामूली वृद्धि होना है।

ग) **अन्य:** गैर-स्थापना संबंधी अन्य व्यय खजानों के प्रेषण, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, लेखा-परीक्षा शुल्क और अन्य व्यय, विविध व्यय आदि लेखाशीर्षों के अंतर्गत किए जाते हैं। लेखा-परीक्षा तथा अन्य व्यय के संबंध में रु.30.14 मिलियन खर्च किये गए जिसमें सांविधिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा तथा बैंक द्वारा विभिन्न प्रयोजनों से करायी गयी विशेष लेखा-परीक्षा के संबंध में प्रदत्त शुल्क और व्यय शामिल हैं। विविध व्यय में मुख्यतः विभिन्न शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थानों आदि को दिए गए अंशदान की राशि शामिल होती है।

XI.11 पिछले पांच वर्षों की आय, व्यय और निवल खर्च योग्य आय की प्रवृत्ति की जानकारी सारणी XI.15 में दी गई है।

सारणी XI.15: सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्तियां

(₹ बिलियन)

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
क) सकल आय	607.32	328.84	370.70	531.76	743.58
ख) आरक्षित निधि में अंतरण (i+ii)	275.01	57.18	134.02	270.25	287.94
(i) आकस्मिकता आरक्षित निधि	261.91	51.68	121.67	246.77	262.47
(ii) आस्ति विकास आरक्षित निधि	13.10	5.50	12.35	23.48	25.47
ग) निवल आय (क-ख)	332.31	271.66	236.68	261.51	455.63
घ) कुल व्यय	82.18	84.03	86.55	101.37	125.49
ङ) निवल प्रयोज्य आय (ग-घ)	250.13	187.63	150.13	160.14	330.14
च) निधियों में अंतरण*	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
छ) सरकार को अंतरित अधिशेष	250.09	187.59	150.09	160.10	330.10
सकल आय में कुल व्यय घटाकर प्रतिशत के रूप में सरकार को अधिशेष का अंतरण	47.6	76.6	52.8	37.2	53.4

*: पांच वर्ष में से प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन रुपये की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि को अंतरित की गयी।

वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्षों के आंकड़ों को फिर से वर्गीकृत/श्रेणीबद्ध किया गया है।

लेखा-परीक्षक

केंद्रीय सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में रिज़र्व बैंक के 2012-13 के लेखों की लेखा-परीक्षा मै0 वी.शंकर ऐय्यर ऐंड कं., मुंबई तथा मै0 हरिभक्ति ऐंड कं., मुंबई ने की। बैंक की शाखाओं और अन्य कार्यालयों की लेखा-परीक्षा शाखा लेखा-परीक्षकों, यथा मै0 एस.के. मेहता ऐंड कं., नई दिल्ली, मै0 पी जी जोशी ऐंड कं., नागपुर, मै0 पी.के.एफ. श्रीधर ऐंड संतानम ऐंड कं., चेन्नै एवं मै0 लोधा ऐंड कं., कोलकाता ने की। लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत की जाती है।

अध्याय अनुबंध I

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2013 का तुलन-पत्र
निर्गम विभाग

(₹ हजार)

2011-12	देयताएं	2012-13	2011-12	आस्तियां	2012-13
	बैंकिंग विभाग में			**स्वर्ण सिक्के तथा सोना-चांदी:**	
89,169	**रखे गये नोट**	**80,169**	760,096,797	(क) भारत में धारित	**674,316,432**
11,034,645,327	**परिचालन में नोट**	**12,016,157,427**	–	(ख) भारत के बाहर धारित	**–**
			10,261,966,851	**विदेशी प्रतिभूतियां**	**11,329,100,584**
11,034,734,496	**कुल जारी नोट**	**12,016,237,596**	11,022,063,648	**कुल**	**12,003,417,016**
			2,206,548	**रुपया सिक्के**	**2,356,280**
			10,464,300	**भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां**	**10,464,300**
			–	**आंतरिक विनिमय पत्र एवं अन्य वाणिज्यिक पत्र**	**–**
11,034,734,496	**कुल देयताएं**	**12,016,237,596**	**11,034,734,496**	**कुल आस्तियां**	**12,016,237,596**

बैंकिंग विभाग

(₹ हजार)

2011-12	देयताएं	2012-13	2011-12	आस्तियां	2012-13
50,000	**प्रदत्त पूंजी**	**50,000**	89,169	**नोट**	**80,169**
65,000,000	**आरक्षित निधि**	**65,000,000**	418	**रुपया सिक्के**	**296**
210,000	**राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि**	**220,000**	125	**छोटे सिक्के**	**63**
1,950,000	**राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि**	**1,960,000**		**खरीदे तथा भुनाये गये बिल:**	
			–	(क) आंतरिक	**–**
			–	(ख) बाह्य	**–**
			–	(ग) सरकारी खज़ाना बिल	**–**
	जमाराशि				
	(क) सरकार		3,640,273,093	**विदेशों में रखी गयी राशि**	**3,395,014,738**
1,004,903	(i) केंद्र सरकार	**1,002,895**			
424,570	(ii) राज्य सरकारें	**424,847**			
	(ख) बैंक		6,305,897,052	**निवेश**	**7,276,101,007**
3,419,535,741	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**3,391,427,816**			
33,242,701	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	**32,038,844**		**निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम :**	
53,643,644	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	**55,210,206**	–	(i) केंद्र सरकार	**146,610,000**
916,213	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	**2,241,459**	7,307,400	(ii) राज्य सरकार	**21,449,487**
92,870,015	(v) अन्य बैंक	**90,595,353**		**निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम:**	
122,045,831	**(ग) अन्य**	**165,973,592**	167,962,800	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**187,170,300**
			390,000	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	**–**
			1,290,000	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	**1,650,000**
270,361	**देय बिल**	**1,873,179**	–	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	**–**
			–	(v) नाबार्ड	**–**
			28,902,498	(vi) अन्य	**8,236,648**
				राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश:	
				(क) निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम:	
			–	(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	**–**
			–	(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	**–**
7,263,548,128	**अन्य देयताएं**	**8,082,855,793**	–	(iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	**–**
			–	(iv) अन्य	**–**
				(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	
			–	(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	**–**
			–	(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	**–**
			–	(iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	**–**
			–	(iv) अन्य	**–**
				राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश :	
			–	(क) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण और अग्रिम	**–**
			–	(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडों/डिबेंचरों में निवेश	**–**
			902,599,552	**अन्य आस्तियां**	**854,561,276**
11,054,712,107	**कुल देयताएं**	**11,890,873,984**	**11,054,712,107**	**कुल आस्तियां**	**11,890,873,984**

30 जून 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

(रु. हजार)

2011-12	आय		2012-13
261,508,821	ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि[1]		**455,635,749**
261,508,821	**जोड़**		**455,635,749**
	व्यय		
587,780	**ब्याज**		**25,725**
29,934,972	स्थापना		**58,595,877**
29,802	निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और व्यय		**30,613**
528,245	खजाना प्रेषण		**640,702**
33,508,790	एजेंसी प्रभार		**28,066,536**
27,037,058	प्रतिभूति मुद्रण (चेक, नोट फार्म आदि)		**28,724,406**
257,177	मुद्रण और लेखन-सामग्री		**228,203**
804,859	डाक-टिकट और दूरसंचार प्रभार		**818,627**
1,022,927	किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		**1,503,660**
26,794	लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय		**30,139**
27,879	विधि प्रभार		**36,316**
2,424,716	बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और उसकी मरम्मत		**2,390,152**
5,177,822	विविध व्यय		**4,404,794**
101,368,821	**जोड़**		**125,495,750**
160,140,000	उपलब्ध शेष राशि		**330,140,000**
	घटायें: निम्नलिखित में अंशदान:		
	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	10,000	
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि[2]	10,000	
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि[2]	10,000	
	राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	10,000	
40,000			**40,000**
160,100,000	**केंद्रीय सरकार को देय अधिशेष**		**330,100,000**

1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार 287,940,115 हजार रुपये (2011-12 में 270,254,407 हजार रुपये) का सामान्य या आवश्यक प्रावधान करने के बाद।
2. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

एस. गणेश कुमार	ऊर्जित आर. पटेल	एच.आर खान	आनंद सिन्हा	के.सी.चक्रवर्ती	डी.सुब्बाराव
मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक इसके द्वारा केंद्र सरकार को 30 जून 2013 की स्थिति का बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित की गई है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की जरूरत तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा लगातार पालन की गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण और उन्हें तैयार करने के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो इसके बारे में सच्ची और सही राय देते हैं और ये गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से मुक्त है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण से संबंधित मानकों के अनुरूप लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की नैतिक अपेक्षाओं और आयोजना ऐसे करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण में राशि तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त हो।

लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरण संबंधी राशि और प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की जाँच करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रक्रियाओं का चुनाव लेखा-परीक्षक करते हैं जिसमें गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन के लिए वित्तीय विवरणों का सही प्रस्तुतीकरण और बैंक की तैयारी के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखा-परीक्षा से संबंधित जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वे हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

अन्य मामले

हम रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा था और वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये और वे संतोषजनक हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में बैंक के बीस लेखांकन इकाइयों के लेखा शामिल किये गये हैं जो सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं और हमने इस संबंध में उनकी रिपोर्ट पर विश्वास किया है।

कृते हरिभक्ति ऐंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.103523 डब्ल्यू

शैलेश हरिभक्ति
भागीदार
(सदस्यता क्र.30823)

कृते वी. शंकर अय्यर ऐंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.109208डब्ल्यू

जी. शंकर
भागीदार
(सदस्यता क्र.46050)

दिनांक: 8 अगस्त 2011
स्थान: मुंबई

30 जून 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों का विवरण

1. सामान्य

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य ''बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखा और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।टट

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य :

क) बैंक नोट का निर्गम

ख) मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन

ग) बैंक और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) का विनियमन और पर्यवेक्षण

घ) अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना

ङ) भुगतान और निपटान प्रणाली की विनियमन और पर्यवेक्षण

च) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन करना

छ) बैंक और सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करना

ज) सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में करना

झ) विदेशी विनिमय बाजार का विनियमन और विकास

ञ) ग्रामीण ऋण और वित्तीय क्षेत्र सहित विकास कार्य

1.3 अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि

क) बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए तथा निर्गम विभाग की आस्तियों में निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर अन्य कोई देयताएं शामिल नहीं होंगी।

ख) निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्का और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए।

ग) निर्गम विभाग की आस्तियां भारत सरकार की मुद्रा नोटों की राशि और उस समय संचलित बैंक नोटों की कुल राशि के बराबर होंगी।

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

I. परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गयी अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये जाते हैं और जहां पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु संशोधन किया गया हो उसे छोड़कर, पारंपरिक लागत पर आधारित हैं।

विवरणों में अपनायी गयी लेखांकन-प्रणालियां और नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनायी गयी लेखांकन प्रणालियों और नीतियों के अनुरूप हैं।

II. राजस्व निर्धारण

आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है जिसमें दंडात्मक ब्याज और लाभांश शामिल नहीं है क्योंकि लाभांश की गणना प्राप्ति-आधार पर और दंडात्मक ब्याज की गणना केवल उगाही गई राशि के आधार पर की जाती है। केवल उगाहे गए लाभ को माना जाता है।

देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कतिपय अस्थायी लेखे में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावी और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और रिज़र्व बैंक की आय में पुनः शामिल किया जाता है। इससे संबंधित दावों पर विचार किया जाता है और जब कभी उनका भुगतान किया जाता है तब उन्हें रिज़र्व बैंक की आय में से वसूल किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को पूर्ववर्ती सप्ताह / पूर्ववर्ती माह / वर्षांत के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

III. स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के लेनदेनों को निपटान तिथि के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

(क) स्वर्ण

स्वर्ण का मूल्य निर्धारण माह के अंत में उस माह के लिए औसत दैनिक लंदन मूल्य के 90 प्रतिशत पर किया जाता है। उसके समकक्ष रुपये का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ / हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में समायोजित किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं सप्ताह के अंतिम कारोबार के दिन तथा माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में आस्तियां और देयताएं उन मामलों को छोड़कर जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित हैं, अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के ऐसे रूपांतरण से होने वाले विदेशी मुद्रा के लाभ और हानि को मुद्रा और स्वर्ण पूनर्मूल्यन खाते में डाला जाता है और वहाँ पर समयोजन किया जाता है। वायदा विनिमय संविदाओं का मूल्य छमाही आधार पर निकाला जाता है और निवल हानि, यदि कोई हो, का विनिमय समकरण खाते में प्रावधान किया जाता है।

खज़ाना बिलों से भिन्न विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, कुछ ''परिपक्वता तक धारितटट प्रतिभूतियों, जिनका लागत पर मूल्य निकाला जाता है को छोड़कर, प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य पर किया जाता है। खजाना बिलों से भिन्न विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रति माह अंतिम कारोबारी दिन प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है। मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास, यदि कोई हो, निवेश पुनर्मूल्यन खाते में अंतरित किया जाता है। निवेश पुनर्मूल्यन खाते का जमा शेष बाद के वर्ष में लाया जाता है। वर्ष के अंत में निवेश पुनर्मूल्यन खाते का नामे शेष, यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है और इसे अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन लाभ और हानि खाते में जमा में रिवर्स किया जाता है।

विदेशी खजाना बिल और वाणिज्यिक पत्र बट्टे के परिशोधन से समायोजित लागत पर रखे जाते हैं। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट दैनिक रूप से परिशोधित किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर लाभ/हानि की पहचान बही मूल्य के संबंध में की जाती है। किंतु विदेशी प्रतिभूतियों केमामले में इन्हें परिशोधित लागत के संदर्भ में पहचाना जाता है। इसके अलावा, विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री/चुकौती पर, निवेश पुनर्मूल्यन खाते में रखी विक्रय की गई प्रतिभूतियों का लाभ/हानि का लाभ-हानि खाते में अंतरित किया जाता हैं।

IV. रुपया प्रतिभूतियां

खज़ाना बिलों को छोड़कर, निर्गम और बैंकिंग विभागों में रखी गई रुपया प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही मूल्य या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है। जहां ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य उपलब्ध न हो, वहां उनका मूल्य माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित आय-व्रक पर आधारित दर पर किया जाता है। जैसा कि भारतीय नियम आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्मडा) के द्वारा अधिसूचित है। मूल्य के मूल्यह्रास का समायोजन चालू ब्याज आय से किया जाता है।

खज़ाना बिलों का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

पुनर्खरीद करार (रिपो) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत संपर्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियों को अंकित मूल्य पर रिज़र्व बैंक की बहियों में रखा जाता है।

V. शेयर

शेयरों में किये गये निवेश का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

VI. अचल आस्तियां

अचल आस्तियों का विवरण उनकी लागत में से मूल्यह्रास को घटाते हुए दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20 प्रतिशत
कम्प्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर आदि	33.33 प्रतिशत

कम्प्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफ्टवेयरों (1,00,000/- रुपये और उससे अधिक की लागतवाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि पर मूल्यह्रास सीधी कटौती के आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यह्रास की दर/ परिशोधन
पट्टाधारित भूमि और उस पर बना भवन	पट्टे की अवधि के अनुपात में किंतु 5 प्रतिशत से कम नहीं
फ्रीहोल्ड भूमि पर बना भवन	10 प्रतिशत

पट्टाधारित भूमि और भवनों पर मूल्यह्रास बट्टाकृत मूल्य आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

रु. 1,00,000/- से कम लागत वाली अचल आस्तियां आसानी से कहीं ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों को छोड़कर अधिग्रहण के वर्ष में लाभ / हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं। रु.10,000 से अधिक लागत वाले मूल्यवान लेकिन आसानी से कही ले जाने योग्य इलेक्ट्रानिक आस्तियों जैसे लैपटॉप आदि को पूंजीकृत किया गया है।

रु. 1,00,000 और अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैयक्तिक मदों को पूंजीकृत किया गया है और मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर की गयी है।

अचल आस्तियों की वर्ष के अंत में शेष राशि पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

VII. कर्मचारी लाभ

'अनुमानित इकाई ऋणट प्रणाली के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के खाते पर देयता बीमांकित मूल्य निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

लेखे पर टिप्पणियां

1. पूंजी

पूंजी रु. 0.05 बिलियन की बैंक की पूंजी भारत सरकार के पास रखी है।

2. आरक्षित निधि

आरक्षित निधि रु. 65 बिलियन की है जिसमें भारत सरकार का रु. 0.05 बिलियन का प्रारंभिक अंशदान तथा इसके बाद अक्तूबर 1990 तक लाभ और हानि खाते से रु. 64.65 बिलियन का सकल अंतरण शामिल है जो स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से न वसूल हुए लाभ का प्रतिनिधित्व करता हे। बाद की अवधियों में होने वाले ऐसे वसूल न हुए लाभों को सीजीआरए में अंतरित किया गया है।

3. राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि

यह निधि अधिनियम की धारा 46 सी के अंतर्गत जुलाई 1964 में बनायी गयी थी। जिसमें पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रु. 100 मिलियन की प्रारंभिक कार्पस से राशि रखी गई थी। इस निधि में वार्षिक अंतरण लाभ और हानि खाते से किये जाते हैं।

4. राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि

यह निधि अधिनियम की धारा 46 की के अंतर्गत जनवरी 1989 में बनाई गई थी जिसमें राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय समायोजन प्रदान करने के लिए रु. 500 मिलियन की एक प्रारंभिक कार्पस राशि रखी गई थी। इस निधि में वार्षिक अंतरण लाभ और हानि खाते से किए जाते हैं।

5. जमाराशियां-सरकार

अधिनियम की धारा 20 और 21 के अनुसार बैंक केन्द्र सरकार के लिए बैंकर के रूप में और अधिनियम की धारा 21ए के अनुसार आपसी सहमति से राज्य सरकारों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है।

6. जमाराशियां-बैंक

ये वे शेष राशियां होती हैं जो बैंक द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात के अनुरक्षण के लिए और भुगतान तथा निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में बैंक के पास रखे गए उनके चालू खातों में रखी जाती हैं।

7. जमाराशियां - अन्य

इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं

क) वित्तीय संस्थाओं की जमाराशियां

ख) फुटकर जमाराशियां और

ग) (i) कर्मचारी भविष्य निधि और (ii) ग्रेच्युटी तथा अधिवर्षिता निधि में शेष राशिया। प्रति वर्ष निर्धारित ब्याज दर को इस निधि में जमा किया जाता है। इन सभी निधियों के लिए एक समान मूल्य का निवेश निश्चित किया गया है।

8. आंतरिक आरक्षित निधियां और प्रावधान

8.1 आकस्मिकता आरक्षित निधि में अप्रत्याशित और अदृश्य आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर प्रावधान की गई राशियों को शामिल किया जाता है, जिसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास, मौद्रिक/विनिमय दर नीति परिचालनों के कारण हुए जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और बैंकों को दी गई विशेष जिम्मेदारियों के कारण हुए अन्य जोखिम भी शामिल हैं।

8.2 आस्ति विकास आरक्षित निधि में पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए और सहायक कंपनियों तथा सहयोगी संस्थाओं में निवेश करने के लिए प्रत्येक वर्ष लाभ में से प्रावधान की गई राशि शामिल है।

8.3 मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता में विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के पुनर्मूल्यन के वसूले न गए लाभ /हानि दर्शाए जाते हैं जो इस खाते में अंतरित किए जाते है।

8.4 निवेश पुनर्मूल्यन खाते में बाजार मूल्य पर विदेशी प्रतिभूतियों पर पुनर्मूल्यन से वसूले न गए लाभ/हानि शामिल होते हैं जो इस खाते में अंतरित किए जाते हैं।

8.5 विनिमय समकरण खाते में, इस खाते में अंतरित की गई वायदा प्रतिबद्धताओं से वसूल न हुई विनिमय हानियों के लिए किए गए प्रावधान शामिल होते हैं।

8.6 वर्ष के दौरान आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि में उतार-चढ़ाव इस प्रकार है :

सारणी XI.16: आकस्मिकता और आस्ति विकास आरक्षित निधि

(राशि, बिलियन रुपये में)

	आकस्मिकता आरक्षित निधि	आस्ति विकास आरक्षित निधि
30 जून 2012 की स्थिति	1,954.05	182.14
वर्ष के दौरान अंतरण	262.47	25.47
कुल (30 जून 2013 की स्थिति)	**2,216.52**	**207.61**

9. विदेशी मुद्रा भंडार

भारतीय रुपये में और अमरीकी डालर में 30 जून 2012 और 30 जून 2013 को विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारी निधियों का पैमाना है, इस प्रकार है:

सारणी XI.17(अ): विदेशी मुद्रा भंडार (रुपये में)

(₹ बिलियन)

	निम्नलिखित की स्थिति		घट-बढ़	
	30 जून 2012	30 जून 2013	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	14,492.81	15,247.69#	754.88	5.2
सोना	1,450.56	1,286.86@	(-)163.70	(-)11.3
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	246.59	259.20	12.61	5.1
आईएमएफ में रिज़र्व पोजिशन की स्थिति*	162.99	130.67	(-)32.32	(-)19.8
कुल विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	**16,352.95**	**16,924.42**	**571.47**	**3.5**

: विदेशी मुद्रा आस्तियों की विस्तृत संरचना सारणी XI.6 में दी गई है।

@ : इसमें से, ₹674.31 बिलियन के मूल्य का सोना निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में रखा हुआ है और ₹612.54 बिलियन के मूल्य का सोना अन्य आस्ति के तहत बैंकिंग विभाग में रखा हुआ है।

* : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिज़र्व पोजिशन की स्थिति, जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक एक ज्ञापन मद के रूप में दर्शायी गई थी, को 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से रिज़र्व में शामिल किया गया है।

सारणी XI.17(आ): विदेशी मुद्रा भंडार (अमरीकी डॉलर में)

(बिलियन अमरीकी डालर)

	निम्नलिखित की स्थिति		घट-बढ	
	30 जून 2012	30 जून 2013	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	256.70*	254.37**	(-)2.33	(-)0.9
सोना	25.76	21.55	(-)4.21	(-)16.3
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	4.38	4.34	(-)0.04	(-)0.9
आईएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति*	2.89	2.19	(-)0.7	(-)24.2
कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (एफईआर)	**289.73**	**282.45**	**(-)7.28**	**(-)2.5**

* : आईआईएफसी (यूके) के बांडों में निवेश की किए गए 673 मिलियन अमरीकी डॉलर शामिल नहीं है जो कि विदेशी मुद्रा भंडार के भाग के रूप में हिसाब लेने के लिए पात्र नहीं है।

** : आईआईएफसी (यूके) के बांडों में निवेश की किए गए 950 मिलियन अमरीकी डॉलर और सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप समझौते के तहत भूटान से प्राप्त 100 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर की भूटान की मुद्रा (बीटीएन) शामिल नहीं है जो कि विदेशी मुद्रा भंडार के भाग के रूप में हिसाब लेने के लिए पात्र नहीं है।

सारणी XI.18 अधिवर्षिता देयताओं का बीमांकित मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए की गई पूर्वधारणा

पूर्वधारणाएं	ग्रॅच्यूटी फंड		पेंशन फंड		एलई फंड	
	30/06/2012	30/06/2013	30/06/2012	30/06/2013	30/06/2012	30/06/2013
1	2	3	4	5	6	7
डिस्काउंट फैक्टर	8.25%	7.65%	8.60%	7.85%	8.25%	7.65%
वेतन में वृद्धि	5%	5%	5%	5%	5%	5%
उपयोग की गई जीवन प्रत्याशा तालिका	एलआईसी (1994-96) अल्टिमेट	आईएएलएम (2006-08)अल्टिमेट	एलआईसी (1994-96) अल्टिमेट	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट	एलआईसी (1994-96) अल्टिमेट	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट

आईएमएफ में विशेष आहरण अधिकार और रिज़र्व स्थिति बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है, किन्तु उन्हें भारत सरकार के पास रखा जाता है और इसलिए इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में नहीं दर्शाया जाता है।

10. कर्मचारी लागत

भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधि तथा छुट्टी नकदीकरण में शेष-राशि के बराबर बैंक का निवेश इन निधियों में किया गया है। भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधि को बैंक में 'जमाराशियों' के रूप में रखा जाता है। छुट्टी नकदीकरण की देयता को 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत शामिल किया जाता है (सारणीXI.18)।

11. कराधान

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत आयकर, अतिकर अथवा इसकी आय, लाभ या अभिलाभ पर किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और बैंक को संपत्ति कर के भुगतान से भी रियायत मिली हुई है।

12. भारत सरकार को अंतरित अधिशेष

अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान, आस्तियों में मूल्यह्रास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि के लिए अंशदान तथा अन्य सभी मामलों के लिए जिन पर अधिनियम के अंतर्गत अथवा बैंकर द्वारा सामान्यतः प्रावधान किया जाना है, का प्रावधान करने के पश्चात बैंक के शेष लाभ को केन्द्र सरकार को अंतरित किया जाएगा।